न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2022 G.C.M.S. No. 2022/427 दर्ज दिनांक : 13.09.2022

अपीलार्थिगण:

1. जितेन्द्रकुमार पुत्र स्व. जयंतीलाल, जाति जैन, उम्र 48 वर्ष
2. भावेश पुत्र स्व. जयंतीलाल, जाति जैन, 46 वर्ष, निवासियान रोहिड़ा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/98/1318–20 दिनांक 01.12.1999 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, श्री नारायण पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, श्री पी.एल. दवे, श्री मेहुल रावल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/98/1318–20 दिनांक 01.12.1999 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी को आबादी विस्तार हेतु मौजा कोदरला तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 255 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि श्री उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 01.12.1999 को स्वीकृत करने का आदेश पारित करने में कानुन एवं वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है एवं उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलेन्ट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं कि उक्त खसरा संख्या, 255 का रकबा बडा था जिस पर अपीलेन्ट के पिता स्वर्गीय जयन्तीलाल पुत्र केसरीमलजी जाति जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमलादेवी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उक्त कृषि भूमि का बतौर स्वामी उपयोग व उपभोग करते आ रहे थें। अपीलेन्ट के पिता स्वर्गीय जयन्तीलालजी पुत्र केसरीमलजी को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत ने उक्त खसरा संख्या 255 में से 5 बीघा कृषि भूमि अंतर्गत नियम 18 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम (भूमि आबंटन बाबत् कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970) के तहत् दिनांक 07.12. 1985 को आबंटित की थीं एवं उसके पश्चात् नियमानुसार कब्जाकाश्त होने से अपीलेन्ट के पिता स्वर्गीय जयन्तीलालजी पुत्र केसरीमलजी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया गया था। इसी क्रम में खसरा संख्या 255 की शेष 5 बीघा कृषि भूमि पर अपीलेन्ट की माता स्वर्गीय विमलादेवी पत्नी जयन्तीलालजी बतौर खातेदार काबिजकाश्त थीं। जयन्तीलालजी का दिनांक 02.10.2020 को देहावसान हो चुका है एवं अपीलेन्ट की माता श्रीमती विमलादेवी का दिनांक 23.05.2019 को देहावसान हो चुका है। इनकी मृत्यु पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट बतौर स्वामी काबिज काश्त है। ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के तत्कालीन सरपंच श्री चन्दनसिंह देवडा ने अपीलेन्ट के माता के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि को हडप करने के बदइरादे से उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के न्यायालय में उक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत हेतु आदर्श डूंगरी को आबंटित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया एवं पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट करवाकर उक्त खसरा संख्या 255 में 5 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम आबंटित करने का उक्त आदेश दिनांक 01.12.1999 गलत कथनों के आधार पर पारित करवाया। उक्त आवंटन होने के पश्चात् ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के तत्कालीन सरपंच से मेलमिलाप कर मौके पर किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का मकान या निर्माण कार्य नहीं होने के उपरांत भी मौके पर गलत रूप से 34 व्यक्तियों के मकानात होने का उल्लेख करते हुए पट्टा संख्या 3601 से 36034 के संबंध में गलत रूप से उल्लेख करते हुए दिनांक 27.06.2010 को एक ही दिन में 34 पट्टे बेनामी व्यक्तियों के नाम से जारी करवाये एवं उक्त पट्टे दिनांक 27.06. 2010 को जारी होने के पश्चात् चार से पांच माह की अवधि में ही उक्त पट्टों के भूखण्ड श्री चन्दनसिंह देवडा ने अपने पुत्र अभिमन्यु सिंह व पुष्पेन्द्रसिंह के पक्ष में समस्त विक्रय–विलेख खाली भूखण्ड दर्शाकर निष्पादित करवा दिये। इस संबंध में अपीलेन्ट की ओर से उच्चाधिकारियों को शिकायत भी की गयी लेकिन उनके विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी। वादग्रस्त सम्पत्ति पर जिनको पट्टे देने का उल्लेख किया गया है, उन किसी भी व्यक्तियों का कब्जा नहीं रहा एवं न ही कोई मकान बने हुये थे। इसके उपरांत भी बेनामी पट्टे जारी करवाकर पुष्पेन्द्रसिंह व अभिमन्युसिंह के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हक में विक्रय–विलेख निष्पादित करवाकर सम्पूर्ण 5 बीघा कृषि भूमि को हड़प करने की कार्यवाही की गयी। उच्चाधिकारियों द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं करने पर एवं उक्त कुटरचित पट्टों के अस्तित्व में रहते उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए कानुनन अड़चन होने से अपीलेन्ट ने जिला कलेक्टर सिरोही के न्यायालय में इन सभी 34 कूटरचित पट्टों को निरस्त करवाने के लिए एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत किया, जो पंचायत निगरानी संख्या 148/2020 पर दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 02.03.2021 को निर्णित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा गलत रूप से 34 व्यक्तियों के पक्ष में जारी सम्पूर्ण पट्टों को निरस्त कर दिया। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 02.03.2021 से भी यह पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उक्त भूमि हडप करने के इरादे से गलत रूप से उक्त आवंटन आदेश दिनांक 01.12.1999 पारित करवाया था। खसरा संख्या 255 की 10 बीघा भूमि पर अपीलेन्ट के माता पिता का लगातार कब्जा व उपयोग–उपभोग चला आ रहा था व उनकी मृत्यु पश्चात् अपीलेन्ट काबिज है। वर्ष 1995 में 400 फिट लम्बी उत्तर से दक्षिण व 70 फिट चौडी पूर्व से पश्चिम दीवार से दो स्टोरेज हेतु गोदाम निर्मित करवाये थें तथा इस संबंध में रेस्पोंडेन्ट संख्या दो द्वारा जांच करवाने पर उक्त भूमि अपीलेन्ट के पिता के खातेदारी व अपीलेन्ट के माता के कब्जे की पाई गयी थीं। इस प्रकार अपीलेन्ट की माता स्वर्गीय विमलादेवी उक्त कृषि भूमि को अपने नाम नियमानुसार आबंटन करवाने की पात्रता रखती थी, एवं उनकी मृत्यु पश्चात् अपीलेन्ट वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है तथा वे उक्त भूमि के आबंटन की पात्रता रखते हैं। खसरा संख्या 255 की कृषि भूमि गाँव कोदरला की आबादी से काफी दूर आई हुई है जो कदीम से आज तक कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में अपीलेन्ट व उनके पूर्व रसाधिकारियों द्वारा ली जा रही हैं। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भलीभाँति है एवं अपीलेन्ट को अपने हक अधिकारी से वंचित करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने गलत रूप से पटवारी हल्का से टिप्पणी करवाकर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को मुगालते में रखकर उक्त आदेश दिनांक 01.12.1999 को गलत रूप से पारित करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन आदेश जारी करने के पूर्व अपीलेन्टान या उनके पूर्व रसाधिकारी को कभी भी नोटिस नहीं दिया, न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया। उनकी पीठ पीछे उक्त आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी होते ही अपीलेन्ट ने उच्चाधिकारियों को शिकायत की लेकिन उस पर कोई ठोस कार्यवाहीं नहीं होने से वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा जारी अवैध पट्टों

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

को निरस्त करवाने के लिए निगरानी प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर न्यायालय सिरोही में प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 02.03.2021 को होकर अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया गया है तथा उसके पश्चात् कोरोना की महामारी आने से एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा देने से तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओमोटो रिट पिटीशन सिविल संख्या 03/2020 द्वारा कोरोना काल की अवधि में देरी को क्षमन करने हेतु छुट प्रदान कर रखी है, जिससे यह अपील बिना किसी देरी के नियमानुसार समयावधि में प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/98/1318–20 दिनांक 01.12.1999 को ग्राम धोडिया के खसरा नंबर 9 कुल रकबा 08–06 बीघा में से 2 एकड़ तथा ग्राम कोदरला के खसरा संख्या 255 कुल रकबा 08–18 बीघा में से 3.125 एकड़ भूमि को ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी जिला सिरोही के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु आवंटित किए जाने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 255 मौके पर खाली भूमि नहीं होकर प्रार्थीगण के पिता व माता के कब्जेकाश्त में थीं। मौका रिपोर्ट में गलत रूप से 34 व्यक्तियों के मकानात होने का उल्लेख करते हुए पट्टा संख्या 3601 से 36034 के संबंध में गलत रूप से अंकन करते हुए दिनांक 27.06.2010 को एक ही दिन में 34 पट्टे बेनामी व्यक्तियों के नाम जारी कर दिए गए तथा पट्टे जारी होने के 5 माह की अवधि में ही उक्त भूखण्ड श्री चंदनसिंह देवड़ा ने अपने पुत्र अभिमन्यु सिंह व पुष्पेन्द्रसिंह के पक्ष में विक्रय–विलेख निष्पादित करवा दिए। जिनके विरूद्ध जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। जो निगरानी संख्या 148/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 द्वारा स्वीकार की जाकर समस्त 34 पट्टे निरस्त किए गए। खसरा संख्या 255 गांव कोदरला की आबादी से काफी दूर स्थित है। उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट के आधार पर विधिविरूद्ध आदेश पारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट प्रार्थीगण को खसरा संख्या 255 में से ही 5 बीघा कृषि भूमि दिनांक 07.12.1985 को आवंटित हुई थीं। अतः अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। आवेदन मंजूर कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किए जाने का अधिकार है तथा ऐसी आरक्षित भूमि जिला कलक्टर की अनुमति के अध्यधीन रहती हैं। अर्थात जिला कलक्टर द्वारा ऐसी आरक्षित भूमियों का ग्राम पंचायत के पक्ष में आवंटन उपरांत ही ग्राम पंचायत पट्टे आदि जारी करने तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए सक्षम होती हैं। प्रकरण में राजकीय भूमियों के आवंटन के संबंध में विधिक प्रावधानों की अनुपालना/विचलन से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है तथा ऐसे प्रकरणों में सार्वजनिक हित में सरकार के साथ–साथ प्रत्येक स्थानीय निवासी हितबद्ध पक्षकार माना जाता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। लिहाजा, प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन आदेश जारी करने के पूर्व अपीलेन्टान या उनके पूर्व रसाधिकारी को कभी भी नोटिस नहीं दिया, न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया। उनकी पीठ पीछे उक्त आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी होते ही अपीलेन्ट ने उच्चाधिकारियों को शिकायत की लेकिन उस पर कोई ठोस कार्यवाहीं नहीं होने से वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा जारी अवैध पट्टों को निरस्त करवाने के लिए निगरानी प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर न्यायालय सिरोही में प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 02.03.2021 को होकर अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया गया है तथा उसके पश्चात् कोरोना की महामारी आने से एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा देने से तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओमोटो रिट पिटीशन सिविल संख्या 03/2020 द्वारा कोरोना काल की अवधि में देरी को क्षमन करने हेतु छुट प्रदान कर रखी है, जिससे यह अपील बिना किसी देरी के नियमानुसार समयावधि में प्रस्तुत है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत की हैं था विलंब के उचित कारण नहीं दर्शाए हैं। अपील म्याद बाधित होने से खारिज फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि अपीलाधीन आदेश द्वारा आवंटित की गई हैं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 व 102 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उपखंड अधिकारी द्वारा धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आरक्षित की जा सकती हैं। लेकिन ऐसी आरक्षित भूमि जिला कलक्टर द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को आवंटित/हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रथमदृष्टया उपखंड अधिकारी द्वारा ही भूमि ग्राम पंचायत को आबादी परियोजनार्थ आवंटित की गई। जो प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध है। साथ ही ऐसे विधिविरूद्ध आदेशों को कभी भी प्रश्नगत किया जा सकता है तथा ऐसे प्रकरण में परिसीमा को सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए इस पहलू पर उदार रूख अपनाया जाना अपेक्षित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के तत्कालीन सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के निवेदन पर ग्राम पंचायत को अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई थीं। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.06.2010 को पट्टा संख्या 3601 से 36034 कुल 34 पट्टे अपीलाधीन आराजी पर जारी किए गए तथा उक्त पट्टे जारी होने के 5-6 माह की अवधि के भीतर ही उक्त समस्त पट्टेधारकों द्वारा संपूर्ण भूमि पुष्पेन्द्रसिंह व अभिमन्युसिंह पुत्रगण चंदनसिंह देवड़ा के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। उक्त क्रेतागण पूर्व सरपंच के पुत्रगण है। उक्त समस्त पट्टा को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 148/2020 बअनवान जितेन्द्रकुमार वगैरह बनाम ग्राम पंचायत आदर्श में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 द्वारा निरस्त घोषित करते हुए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण केवल कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी एवं खसरा परिवर्तन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा तहसीलदार पिण्डवाड़ा की सिफारिश के आधार पर ग्राम धोडिया के खसरा संख्या 9 कुल रकबा 08-06 बीघा किस्म बा. द्वि. में से 2 एकड़ तथा ग्राम कोदरला के खसरा संख्या 255 कुला 08-18 बीघा किस्म बंजर में से 3.125 एकड़ भूमि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी को अपीलाधीन आदेश द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित करते हुए तहसीलदार पिण्डवाड़ा को नामांतरण तरमीम आदि कर ग्राम पंचायत को कब्जा सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत द्वारा धारित आबादी भूमि, ग्राम पंचायत की जनसंख्या व पशु संख्या तथा उसके अनुपात में भूमि की उपलब्धता या कमी के संबंध में कोई जांच व परीक्षण किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

8. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

92. Land may be set apart for special purposes- (1) Subject to the general orders of the State Government, the Collector may set apart land for any special purpose, such as, for free pasturage of cattle, for forest reserve, for development of abadi or for any other public or municipal purpose, and such land shall not be used otherwise than for such purpose without the previous sanction of the Collector.

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.11.1967 द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए आबादी विस्तार हेतु भूमि सेटअपार्ट किए जाने हेतु अपने–अपने क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किए जाने/सेंटअपार्ट करने के लिए सक्षम है। धारा 92 के अंतर्गत ऐसी सेटअपार्ट/आरक्षित/अलग रखी हुई भूमि को आवंटित भूमि नहीं माना जा सकता। अर्थात ऐसी भूमियां विशिष्ट प्रयोजन के लिए आरक्षित रखी जाएगी तथा भूमि का स्वामित्व पूर्ववत सिवायचक सरकार का बना रहेगा। ऐसी आरक्षित भूमियां धारा 102 के अंतर्गत जिला कलक्टर/राज्य सरकार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को आवंटित किए जाने के पश्चात ऐसी भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित होकर ग्राम पंचायत में निहित होगी। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत ऐसी भूमियों का नियमानुसार विकास व पट्टे आदि निष्पादित कर सकती हैं। लेकिन विद्वान उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.11.1967 का संदर्भ लेते हुए भूमि आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी को आवंटित करते हुए ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने तथा ग्राम पंचायत को कब्जा सुपुर्द करने के लिए तहसीलदार पिण्डवाड़ा को निर्देशित कर कानूनन भूल की हैं। क्योंकि आवंटन व कब्जा सुपुर्दगी अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत अनुमत है। जिसके लिए उपखंड अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। उपखंड अधिकारी केवल ग्राम पंचायतों के आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आरक्षित/सेटअपार्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत सक्षम है। जिसका हस्तगत प्रकरण में उल्लंघन पाया गया। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

9. अपीलांट्स द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि अपीलाधीन आराजी उनके पिता व माता के कब्जेकाश्त में रही हैं तथा खसरा परिवर्तन की प्रविष्टियों से इनकी पुष्टि होती हैं। अतः इस कारण उक्त आराजी में इनका हित निहित है तथा अपीलांट्स अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करवाने के लिए अधिकारी हैं, के संबंध में हमारे विनम्र मत में अपीलांट्स के माता व पिता का बतौर अतिक्रमी खसरा संख्या 255 की आराजी में खसरा परिवर्तन में नाम दर्ज होने का यह कतई तात्पर्य नहीं हो सकता कि इससे उक्त आराजी में इनके कोई हित सृजित या निहित हुए हों। राजकीय भूमियों पर अतिक्रमी विधिविरूद्ध काबिज व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे अतिक्रमी सिर्फ बेदखली के हकदार होते हैं। अतः संबंधित सक्षम प्राधिकारी ऐसे अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होंगे। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/98/1318–20 दिनांक 01.12.1999 को अपास्त किया जाकर उक्त आदेश द्वारा ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार भू–अभिलेख में अमल दरामद कर अपीलाधीन आराजी कब्जा राज लेना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश से अपीलांट्स के पक्ष में अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में किन्हीं प्रकार के विशिष्ट हित/अधिकार निहित/सृजित नहीं होंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner